प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, मुंबई-400001

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S. Marg, Mumbai 400001
फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22703279

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

30 जुलाई 2009

फर्जी ऑफर/लॉटरी जीतने वाले/सस्ते फंड ऑफर से सावधान रहें: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत लॉटरी योजनाओं में भाग लेने के लिए किसी भी रूप में धन प्रेषण निषिद्ध है। इसके अलावा, ये प्रतिबंध विभिन्न नामों के तहत कार्य कर रही लॉटरी जैसी योजनाओं, जैसे कि धन परिचालन योजना या पुरस्कार राशि/पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से विप्रेषण आदि में भाग लेने पर भी लागू होते हैं। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह न तो भारत में व्यक्तियों/कंपनियों/ट्रस्टों के नाम पर संवितरण के लिए धन रखने के लिए कोई खाता रखता है और न ही व्यक्तियों को रिज़र्व बैंक में धन जमा करने के लिए खाता खोलने की अनुमति देता है। यह इन खातों में धन की प्राप्ति और धारण करने के लिए कोई प्रमाण पत्र या सलाह या पुष्टि भी जारी नहीं करता है।

रिज़र्व बैंक ने जनता को सलाह दी है कि वे फर्जी प्रस्तावों/अभ्यावेदनों के जवाब में ऐसे खातों में धन न भेजें या जमा न करें। जनता दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ऐसे प्रस्तावों का विवरण तुरंत स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास ला सकती है।

रिजर्व बैंक की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब कई निवासी हाल के दिनों में इस तरह के लुभावने प्रस्तावों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें धन का नुकसान हो रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विगत में कई अवसरों पर जनता को आगाह किया है कि वे कुछ विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा विदेशों से विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के फर्जी प्रस्तावों/लॉटरी जीतने/विप्रेषण के झांसे में न आएं। ये ऑफर आम तौर पर पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस आदि के जरिए दिए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अतीत में अपनाए गए विशिष्ट तौर-तरीकों के अलावा, धोखेबाजों ने अब लेटरहेड पर प्रमाण पत्र, पत्र, परिपत्र आदि जारी करने का तरीका अपना लिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लेटरहेड जैसा दिखता है और इस तरह के प्रस्तावों को वास्तविक दिखाने के लिए तथाकथित रूप से ये इसके अधिकारियों / वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित दिखाए जाते हैं। जालसाज टेलीफोन नंबर और/या फर्जी ई-मेल आईडी के साथ रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके पीड़ितों को उन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई धोखेबाजों ने भारत में बैंकों के साथ खाते भी खोले हैं और जनता को विभिन्न प्रभारों, करों, शुल्कों आदि के लिए इन खातों में पैसा जमा करने की सलाह दी है। जब उनके खाते में पैसा जमा हो जाता है, तो ऐसे ऑफ़र मेल करने वाले लोग पैसे निकाल लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस प्रकार पीड़ित पहले से भुगतान किए गए पैसे खो देता है।

रिजर्व बैंक ने लोगों से भी आग्रह किया है कि वे इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर टिकर पढ़ें।

अल्पना किलावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति : 2009-2010/168

संबंधित प्रेस विज्ञप्ति / अधिसूचना	
28 मई 2010	फंड ट्रांसफर के फर्जी प्रस्तावों के झांसे में न आएं: भारतीय रिजर्व बैंक
26 मई 2010	लॉटरी, मनी सर्कुलेशन स्कीमों, सस्ते फंडों के अन्य काल्पनिक प्रस्तावों आदि में भागीदारी के लिए प्रेषण।
दिसम्बर 07, 2007	रिजर्व बैंक ने जनताHYPERLINK "http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=17608" \h को विदेश से सस्ते धन भेजने के फर्जी प्रस्तावों के खिलाफ आगाह किया